

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3358

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्तियां

†3358. श्री बैजयंत पांडा:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2024-25 में भी देशभर की सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं, विशेषकर ग्रामीण और आकांक्षी जिलों में, चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों की संख्या का ओडिशा सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा, विशेषकर केंद्रपाड़ा, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल शामिल हैं, में ऐसे रिक्त पदों की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को भरने और स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर ओडिशा सहित उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastucture%20%26%20Human%20Resources%29%20202223_RE%20%281%29.pdf

(ग): ओडिशा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, केंद्रपाड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(घ): ओडिशा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रिक्तियों को भरने और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं:

- स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं में डॉक्टरों को अतिरिक्त वेटेज अंक प्रदान किए जाते हैं, जिसमें प्रारंभिक नियुक्ति के दौरान तीन वर्षों तक जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्ति अनिवार्य होती है।
- जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों को संवेदनशीलता संकेतकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें चिकित्सा अधिकारियों के लिए ₹40,000 तक और विशेषज्ञों के लिए ₹80,000 तक के स्थान-आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- विशेषज्ञों और सुपर-स्पेशलिस्टों को बातचीत द्वारा तय दरों पर नियुक्त करने के लिए जनजातीय जिलों को ₹1 करोड़ की एक समग्र निधि आवंटित की जाती है।

एनएचएम के तहत देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- विशेषज्ञ डॉक्टरों को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके आवासीय क्वार्टरों की व्यवस्था करना ताकि उनको ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में सेवा करना आकर्षक लगे।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्री रोग/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेतिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल में प्रशिक्षित (एलएसएस) डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एनसी जाँच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और मिडवाइफ़ (एनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत द्वारा तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में छूट भी शामिल है।
- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल विकास को समर्थन दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

दिनांक 08.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3358 के उत्तर के भाग (ग) में
संदर्भित अनुलग्नक

केंद्रपाड़ा जिले में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स का विवरण

| क्र. सं. | पद | पदासीन स्थिति | | |
|----------|---------------------------|----------------|---------|--------|
| | | स्वीकृत संख्या | कार्यरत | रिक्ति |
| 1 | डॉक्टर / चिकित्सा अधिकारी | 403 | 139 | 264 |
| 2 | एमपीएचएस (पुरुष) | 80 | 21 | 59 |
| 3 | एमपीएचएस (महिला) | 98 | 17 | 81 |
| 4 | फार्मासिस्ट | 83 | 63 | 20 |
| 5 | नर्सिंग अधिकारी | 386 | 314 | 72 |
| 6 | ओफ्थेल्मिक असिस्टेंट | 3 | 1 | 2 |
| 7 | प्रयोगशाला तकनीशियन | 37 | 29 | 8 |
| 8 | रेडियोग्राफर | 17 | 11 | 6 |
| 9 | एमपीएचडब्ल्यू (पुरुष) | 358 | 154 | 204 |
| 10 | एमपीएचडब्ल्यू (महिला) | 427 | 338 | 89 |
| | कुल | 1892 | 1087 | 805 |
